राजस्थान सरकार
गोपालन विभाग

क्रमांकः– एफ.वी. 3( )/निगो/गोपंनसु/मु.मं. ब.घो./2016/ दिनांकः– 25/11/2016

समस्त जिला संयुक्त निदेशक,
पशुपालन विभाग, ...

विषय :– गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि, 2016 से गौशालाओं/कांजी हाऊस में आवासित गौवंश को सहायता राशि देने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 व उसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप गौशाला/कांजी हाऊस में संधारित गौवंश हेतु सहायता राशि माह जनवरी फरवरी एवं मार्च 2017 (अधिकतम 90 दिवस) हेतु दी जानी है। इस क्रम में जिले की समस्त गौशालाओं तथा उनमें दिनांक 01.12.2016 को संधारित वास्तविक गौवंश का भौतिक सत्यापन जिला कलक्टर द्वारा नामित सम्बन्धित तहसीलदार/नायब तहसीलदार/विकास अधिकारी एवं उनके अधीन अधिकारी/कर्मचारी तथा आपके द्वारा नामित वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा 03.12.2016 तक किया जाना है।

निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन संलग्न प्रपत्र–(अ) में गौशालावार दिनांक 03.12.2016 तक पूर्ण करा आपके कार्यालय में प्राप्त कर लिया जावे। गौशाला/कांजी हाऊस तथा संधारित गौवंश की उक्त इकजाई भौतिक सत्यापन एवं गौशालाओं को आवंटित कोड की सूचना प्रपत्र–(ब) में दिनांक 05.12.2016 तक निदेशलाय गोपालन की ई–मेल dir.dgs@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

गौशाला/कांजी हाऊस को सहायता राशि की गणना दिनांक 01.12.2016 को संधारित उक्त गौवंश के आधार पर संलग्न दिशानिर्देश परिपत्र दिनांक 23.11.2016 के अनुरूप किया जावेगा।

अतः उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 (प्रति संलग्न) एवं गौशाला/कांजी हाऊस में संधारित गौवंश हेतु सहायता राशि के वितरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश (संलग्न) के प्रावधानों का समुचित अध्ययन कर सम्बन्धित जिला कलक्टर से व्यक्तिगत सम्पर्क एवं समन्वय कर पालना सुनिश्चित करावे ताकि पारदर्शिता के साथ नियमानुसार एवं दिशा–निर्देशोनुरूप सहायता राशि गौशाला/कांजी हाऊस को उपलब्ध कराई जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(कुंजी लाल मीना)
शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.वी. 3( )/निगो/गोपंनसु/मु.मं. ब.घो./2016/ दिनांकः– 25/11/2016

प्रतिलिपि :–

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. जिला कलक्टर, ... राजस्थान।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज. जयपुर।
4. निदेशक, गोपालन विभाग, राज. जयपुर।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
6. अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग क्षेत्र, ... राजस्थान।

शासन उप सचिव

"गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016" तथा निधि के उपयोग के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 21.11.2016 अन्तर्गत जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा ध्यान में रखने वाले मुख्य बिन्दु :–

जो कार्य करने है :– **(Do's)**

(i) जिले में स्थित समस्त कांजी हाऊस/गौशालाओं का तथा उनमें दिनांक 01.12.2016 को संधारित गौवंश का भौतिक सत्यापन दिनांक 03.12.2016 तक पूर्ण करालें। निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन संलग्न प्रपत्र–(अ) में गौशालावार दिनांक 03.12.2016 तक पूर्ण करा आपके कार्यालय में प्राप्त करावे।

(ii) उक्त (i) में अंकित भौतिक सत्यापन हेतु गौशालाओं की संख्या एवं गौवंश की अनुमानित संख्या के आधार पर जिला कलक्टर से शीघ्रतम सम्पर्क कर गौशालावार अधिकारियों की टीम निर्धारित कर दें। टीम में पशु चिकित्सक, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी या अधीनस्थ अन्य अधिकारी सम्मलित हो सकते है।

(iii) उक्त (ii) में निर्धारित अधिकारियों के माध्यम से गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 तथा सहायता राशि के दिशा–निर्देश परिपत्र दिनांक 23.11.2016 के मुख्य–मुख्य प्रावधानों से तथा आवेदन पत्र शपथ पत्र/पंजिकाओं के प्रपत्र आदि से गौशाला प्रबन्धन को भी शीघ्र ही अवगत करावे।

(iv) जिले की समस्त गौशालाओं का विवरण गौशालावार इकजाई कराकर गौशालाओं के नाम के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णाक्षर (Alphabate) के आधार पर प्रत्येक गौशाला को टैगिंग के लिए कोड आवंटित करे।

(v) गौशाला/कांजी हाऊस तथा संधारित गौवंश की उक्त इकजाई भौतिक सत्यापन एवं गौशाला को आवंटित कोड की सूचना प्रपत्र–(ब) में निदेशक गोपालन को ई–मेल dir.dgs@rajasthan.gov.in पर दिनांक 06.12.2016 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करावे।

(vi) गौशाला के सहायता राशि हेतु आवेदन प्राप्ति के साथ शपथ पत्र तथा निर्धारित प्रपत्र संख्या –3 में संयुक्त भौतिक सत्यापन आवश्यक है। यह भौतिक सत्यापन 01.12.2016 को कराये गौवंश के सत्यापन से पृथक तथा विस्तृत है। निरीक्षणकर्ता अधिकारी भी पृथक हो सकते है।

(vii) दिनांक 01.12.2016 को संधारित गौवंश की संख्या, गौशाला द्वारा सहायता राशि के प्रस्तुत आवेदन में दर्शित संधारित गौवंश की संख्या तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (प्रपत्र–3) में गौवंश की संख्या में यदि भिन्नता हो तो "जो भी कम हो" उस संख्या को सहायता राशि की गणना का आधार माना जावे।

(viii) गौशाला में संधारित समस्त गौवंश की टैगिंग तथा टैग नम्बर के आधार पर गौवंश संधारण पंजिका (प्रपत्र–5) में प्रत्येक गौवंश का विवरण गौशाला प्रबन्धन आवेदन के साथ ही सुनिश्चित करालें क्योंकि संयुक्त भौतिक सत्यापन के समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। चूंकि टैगिंग में समय लग सकता है अतः इस हेतु गौशाला प्रबन्धन को पहले से ही सूचित करा दे।

(ix) जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा अपने जिले के अन्तर्गत समस्त गौशाला/कांजी हाऊस से प्राप्त गौवंश की सूचना के आधार पर जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन के पश्चात चारा/पशुआहार खरीद के बिलों के आधार पर स्वीकृति जारी की जावेगी।

(x) गौशाला/कांजी हाऊस द्वारा यदि चारा/पशुआहार के स्वीकृत की गई राशि से अधिक राशि के बिल प्रस्तुत किये जाते है तो जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग स्वीकृत राशि की सीमा तक ही बिल पारित कर कोषालय के माध्यम से गौशालाओं को उनके बैंक खाते में राशि का आर.टी.जी.एस. द्वारा भुगतान करायेंगे।

(xi) यदि किसी संस्था/गौशाला द्वारा व्यावसायिक कारोबार/व्यापक उत्पादन एवं विपणन की गतिविधि की जा रही हो तो यह सुनिश्चित करने के बाद ही सहायता राशि स्वीकृत करें कि वह संस्था/गौशाला लाभ की स्थिति में नहीं है।

(xii) द्वितीय किश्त की स्वीकृति प्रत्येक मामले में तभी करे जबकि दी गई प्रथम किश्त की राशि का प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुका हो।

(xiii) गौवंश के स्वास्थ्य, टीकाकरण एवं उपचार तथा अन्य कार्यों हेतु प्रत्येक गौशाला के लिए एक नोडल पशु चिकित्सा अधिकारी तथा पशुधन सहायक सुनिश्चित करते हुए आदेश जारी करे तथा उक्त नोडल अधिकारी का नाम– पदस्थापन स्थान– गौशाला का नाम जिसका नोडल अधिकारी बनाया है, की सूचना निदेशक, गोपालन को ई–मेल पर प्रेषित करे।

(xiv) जिला संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग कार्यालय द्वारा इस योजना के लिये निम्नांकित पंजिकाओं/पत्रावलियों का संधारण किया जावेगा ताकि इस योजना मे होने वाले व्यय/उपयोगिता की समय–समय पर जांच हो सके :–

- बजट नियत्रंण पंजिका
- बिल पंजिका
- इन्केशमेन्ट पंजिका
- जिला स्तरीय गोपालन समिति की बैठकों की कार्यवाही विवरण की पत्रावली
- गौशाला/कांजी हाउस से प्राप्त आवेदन पत्र/शपथ पत्र/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट/सहायता राशि की स्वीकृति आदेश एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की कांजीहाउस/गौशालावार पत्रावली।
- जिला स्तरीय समिति की एक बैठक में प्रस्तुत गौशाला/कांजी हाउस के समस्त प्रस्तावों को एक प्रपोजल मानते हुये, प्रपोजलवार गौशाला/कांजी हाउस की स्वीकृत की गई राशि की पत्रावली।
- गौशाला/कांजी हाउस को आवंटित एवं स्वीकृत राशि की तहसीलवार/ पंचायत समितिवार/विधानसभावार इकजाई सूचना प्रपत्र की पत्रावली।

जो कार्य नहीं करने है :– **(Don'ts)**

(i) गौशाला में संधारित गौवंश को जनवरी/फरवरी तथा मार्च 2017 के लिए यदि किसी अन्य राजकीय विभाग/बोर्ड/निगम/उपक्रम से सहायता प्राप्त हो गई है तो निधि से सहायता स्वीकृति नहीं की जायेगी।

(ii) वध से बचाये गौवंश योजनान्तर्गत यदि गौवंश को सहायता राशि उक्त अवधि (जनवरी, 2017 से मार्च 2017) में प्राप्त हो चुकी है या स्वीकृत एवं भुगतान की जानी है तो निधि से सहायता स्वीकृति नहीं की जायेगी।

(iii) गौसंरक्षण सवंर्धन निधि नियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमत व्यय से भिन्न नियम 7(v) पर अंकित मद पर राशि व्यय नहीं हो।

(iv) गौशाला को नकद या चैक से भुगतान नहीं करे।

प्रपत्र (अ)

दिनांक 01.12.2016 को गौशाला/कांजी हाऊस में संधारित वास्तविक गौवंश की सख्या हेतु निरीक्षण का प्रारूप

निरीक्षण की दिनांक .....

(1) गौशाला/कांजी हाऊस का पूरा नाम एवं पता .....
(2) तहसील ..... (3) जिला .....
(5) गौशाला अध्यक्ष का नाम ..... मोबाइल नं. .....
(6) गौशाला प्रबन्धक का नाम ..... मोबाइल नं. .....
(7) गौशाला का राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 में पंजीयन क्रमांक/दिनांक .....
(8) गौशाला का राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 में पंजीयन क्रमांक/दिनांक .....
(9) गौशाला क्रियाशील है अथवा अक्रियाशील .....

दिनांक 01.12.2016 को संधारित गौवंश का विवरण :–

गौशाला/कांजी हाऊस का नाम	बड़े गौवंश	छोटे गौवंश	कुल गौवंश

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता
नाम मय पद .....

.....

प्रपत्र (ब)

गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि, 2016 से गौशाला/कांजी हाऊस में आवासित गौवंश को सहायता राशि के संदर्भ में दिनांक 01.12.2016 को गौशाला तथा उसमें संधारित वास्तविक गौवंश की सख्या की जिलावार इकजाई सूचना

जिला .....

क्र. सं.	गौशाला/कांजी हाऊस का नाम (Alphabetical)	राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक/दिनांक	राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक/दिनांक	गौशालाओं को आवंटित कोड	गौवंश का विवरण 01.12.2016		
					बड़े गौवंश	छोटे गौवंश	कुल गौवंश
1.							
2.							
3.							

नोट :– जिले में स्थित समस्त गौशालाओं को दर्ज किया जाना है। यदि गौशाला अक्रियाशील है तो उसका विवरण गौवंश संख्या के कॉलम में अंकित कर दे। इसमें वे सभी गौशालाएं भी सम्मलित है जो दो वर्ष से कम अवधि से पंजीकृत है व 200 से कम गौवंश संधारित है।

जिला संयुक्त निदेशक,
पशुपालन विभाग, ...